संख्या-53/2019/81मंत्री/26-3-2019-2348/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 मार्च 2019

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती के विकास कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-186/2018/74वी0आई0पी0/26-3-2018-2348/2018, दिनांक-31.08.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-बस्ती सदर के ग्राम जिगिना, मनहनडीह, चचनी एवं बनगवां प्रथम में पिचरोड, इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु आंकलित कुल धनराशि रू0-807.10 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0) को नामित किया गया है।

2- उक्त कार्यदायी संस्था का कार्य ठीक न होने, गुणवत्ता खराब होने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0) के स्थान पर कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को नामित किया जाता है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ0संख्या-53/2019/81मंत्री (1)/26-3-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी, बस्ती।
3.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0)
6.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।
7.जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती।
8.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
10.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।